

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 4, फिरोजाबाद
इजराय वाद सं० 660/2018
मै० श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेन्स लिमिटेड बनाम अभिषेक

दिनांक- 20-07-2026

इजराय वाद पेश हुआ। प्रार्थी श्रीराम ट्रान्सपोर्ट की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वर्णित वाद में डिक्रीदार तथा निर्णीत ऋणी के मध्य समझौता हो गया है तथा समझौते के आधार पर निर्णीत ऋणी ने डिक्रीदार को बकाया ऋण की धनराशि डिक्रीदार को दे दी है अब निर्णीत ऋणी पर डिक्रीदार का कोई पैसा बकाया नहीं है।

उपरोक्त स्थिति में जबकि डिक्रीदार ने निर्णीत ऋणी से बकाया धनराशि प्राप्त कर ली है तथा वह वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः प्रस्तुत इजराजय वाद वाद पूर्ण संस्तुष्टी पर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 4
फिरोजाबाद।